भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 297

दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

योजनाओं का पुनर्नामकरण

297. श्री नकुल कमल नाथ:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय की उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनका सरकार द्वारा 2014 के बाद नाम बदला गया है; और

(ख) वर्ष 2014 के बाद इन योजनाओं के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए देश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की सभी स्कीमों को तीन शीर्षों (वर्टिकल्स) अर्थात् (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में मिला दिया गया है।

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को 3 प्राथमिक शीर्षों (वर्टिकल्स) (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) **मिशन शक्ति**: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रमश **'संबल'** और **'सामर्थ्य'** नामक दो उप-स्कीमें शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीमों को संबल उप-स्कीम का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन के रूप में पुनर्नामित) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास के रूप में

पुनर्नामित) और राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (पालना के रूप में पुनर्नामित) की मौजूदा स्कीमों को **"सामर्थ्य"** में शामिल किया गया है।

(iii) **मिशन वात्सल्य** : (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने और उनका पोषण करने (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करने (iii) नवोन्वेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु अवसर प्रदान करने (iv) यदि आवश्यक हो तो अंतराल वित्तपोषण द्वारा अभिसरण कार्रवाई पुष्ट करने आदि उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में देखभाल और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर आउटरीच तथा सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को मिशन वात्सल्य का नया नाम दिया गया है।

(ख) : निधियां जारी करने का स्कीम-वार विवरण संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत निधियां जारी करने का विवरण

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	स्कीम	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1.	आंगनवाड़ी सेवाएँ	15433.09	14433.19	15155.4	16814.78	16893.55	15784.41
2.	पोषण अभियान	20.83	35.64	519.51	2551.01	1880.09	408.27
3.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	233.37	75.45	2048.31	1054.88	2238.97	1112.13
4.	किशोरियों के लिए स्कीम	475.21	482.03	450.63	205.01	105.46	40.82
5.	बाल संरक्षण सेवाएँ	496.84	576.98	637.81	915.69	865.83	846.63
6.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	133.02	124.62	48.79	29.77	47.77	11.60
7.	स्वाधार गृह	48.13	83.69	57.20	24.50	25.49	24.40
8.	उज्जवला	19.94	20.32	24.56	6.43	9.35	8.00
9.	कामकाजी महिला छात्रावास	12.19	23.13	26.96	30.34	32.55	19.51
10.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)	59.37	28.66	169.10	244.73	85.78	60.56
11.	महिला हेल्पलाइन	15.12	0.85	7.64	11.89	11.34	12.53
12.	वन स्टॉप सेंटर	10.35	40.24	30.10	149.27	137.59	159.78
13.	निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य स्कीम	-	191.76	114.69	1.94	0.04	0.10

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	मिशन	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (17.07.2023 के अनुसार)**
1.	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	18381.74	19876.11	2811.12
2.	मिशन वात्सल्य	761.09	1042.91	12.83
3.	मिशन शक्ति	1912.38	2340.15	26.96

****